



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232091
CG-DL-E-23122021-232091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]
No. 378]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

भारत सरकार की राजकोषीय हंडियों/नकद प्रबंधन बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री की सामान्य अधिसूचना में संशोधन-
अधिसूचना सं.102 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018

सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की भारत सरकार की राजकोषीय हंडियों/नकद प्रबंधन बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के संबंध में सं.एफ.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 और दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के उत्तरवर्ती संशोधन सं.एफ-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में अपनी अधिसूचनाओं में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

2. उक्त अधिसूचना में,

(क) पैरा 3 एवं 4 (ii) में 'विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों,' शब्दों 'राज्य सरकारें,' के बाद जोड़ा जाएगा; तथा

(ख) पैरा 4 (ii) में, '(91/182/364 दिन राजकोषीय हंडियों में)' शब्दों को 'नेपाल राष्ट्रीय बैंक' के बाद जोड़ा जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2021

Amendment to General Notification of sale of Government of India Treasury Bills/Cash Managements Bills by Auction - Notification No 102 (E) dated 27th March, 2018

No. F-4(2)-W&M/2018.—The Government of India hereby makes the following amendments to its Notifications in the Ministry of Finance No. F.4(2)-W&M/2018 dated the 27th March, 2018 and subsequent Amendment bearing F.4(2)-W&M/2018 dated the 5th April, 2018 relating to the Scheme for sale of Government of India Treasury Bills/Cash Managements Bills by Auction namely:-

2. In the said Notification,

- (a) In Para 3 & 4 (ii), words '*Union Territories with legislature,*' shall be added after the words 'State Governments,'; and
- (b) In Para 4 (ii), words '*(in 91/182/364 Day T-Bills)*' shall be added after 'Nepal Rashtra Bank'.

By Order of the President of India,

ASHISH VACHHANI, Jt. Secy.